विस्तृत विज्ञापन

विज्ञापन संख्या : 04 / परीक्षा / प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) / माध्यमिक शिक्षा / 2013–2014 दिनांक : 02.08.2013

आयोग द्वारा निम्नलिखित पद हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं–

1. विभिन्न विषयों में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2013 (राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के अन्तर्गत)

क्र.सं.	विषय	कुल पद	क्र.सं.	विषय	कुल पद	क्र.सं.	विषय	कुल पद	क्र.सं.	विषय	कुल पद
1	हिन्दी	815	6	संस्कृत	12	11	गणित	17	16	भौतिक विज्ञान	48
2	इतिहास	60	7	उर्दू	212	12	चित्रकला	1	17	अंग्रेजी	576
3	राजनीति विज्ञान	84	8	समाज शास्त्र	3	13	वाणिज्य	145			
4	भूगोल	65	9	लोक प्रशासन	1	14	जीव विज्ञान	28			
5	अर्थ शास्त्र	8	10	गृह विज्ञान	4	15	रसायन विज्ञान	48			

आयु (समस्त पदों के लिए) :– दिनांक 01.07.2014 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 से कम।

वेतनमान (समस्त पदों के लिए) :– रनिंग पे–बेण्ड संख्या–2 (9300–34800) , ग्रेड–पे संख्या 13 (रुपये 4200 / –)

शैक्षणिक योग्यता : (*समस्त पदों के लिये*) :–

(1) सरकार द्वारा मान्य शिक्षा स्नातक (बी.एड.) और सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य कोई अन्य अर्हता।

नोट:–परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।

स्पष्टीकरण:– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

2. अनेक पदों के लिए आवेदन– यदि कोई अभ्यर्थी **प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)** के एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से जमा कराना होगा और प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन पत्र भी भरना होगा, किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर Yes क्लिक करें और तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम आवेदन–पत्र का **आवेदन पत्र क्रमांक** (Application ID) अंकित करें। आयोग द्वारा उक्त सभी पदों के लिये प्रथम प्रश्न–पत्र की एक ही परीक्षा कराई जा सकती है और ऐसी स्थिति में केवल द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु उन्हें पृथक–पृथक परीक्षा देनी पड़ेगी। **यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है, तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Rejected) कर दिया जाएगा।**

3. आयु सीमा में छूट :– पद की विहित आयु सीमा में निम्नानुसार छूट होगीः–

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :–

''यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का / की नहीं हुआ / हुई है।''

स्पष्टीकरण :

आयोग द्वारा प्राध्यापक–**वाणिज्य, भौतिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी एवं उर्दू** के पद वर्ष 2012 में विज्ञापित किए गए थे तथा आयु की गणना 01.07.2012 को की गई थी। अतः इन पदों हेतु इस अधिसूचना के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में **एक वर्ष** की छूट देय होगी। शेष पद वर्ष 2008 में विज्ञापित किए गए थे। तत्पश्चात् इन पदों की भर्ती नहीं होने के कारण इन पदों हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 01.07.2014 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष** की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है–

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा / विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है :–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

(3) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(4) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(5) कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतनी ही अवधि के बराबर की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

(6) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिए जाएंगे।

(7) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(8) रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स / शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।

(9) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(10) राज्य कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी ।

नोट :–

(1) उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 10 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 2 से 10 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

क्रमशः..........

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

4. परीक्षा योजना –

Scheme of examination and syllabus for the post of School Lecturer

(1) The competitive examination shall carry 450 marks.
(2) There will be two papers. Paper I shall be of 150 marks and Paper II shall be of 300 marks. Duration of Paper I shall be One and a Half hours and the duration of Paper II shall be Three hours.
(3) All the question in both the Papers shall be Multiple Choice Type questions.
(4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
Explanation:- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
(5) Subjects included in both the papers and the marks given to them are shown in the tables below:

Paper-I General awareness and General Studies
Duration: 1 Hour and 30 minutes

S.No.	SUBJECT	No. of Questions	Total Marks
1	History of Rajasthan and Indian History with special emphasis on Indian National Movement	15	30
2	Mental Ability Test, Statistics (Secondary Level), Mathematics (Secondary Level), Language Ability Test : Hindi, English	20	40
3	Current affairs	10	20
4	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan	15	30
5	Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right to Education Act, 2009	15	30
	Total	***75***	***150***

Paper-II Subject Concerned
Duration: 3 Hours

S.No.	SUBJECT	No. of Questions	Total Marks
1	Knowledge of Subject Concerned: Senior Secondary Level	55	110
2	Knowledge of Subject Concerned: Graduation Level	55	110
3	Knowledge of Subject Concerned: Post Graduation Level	10	20
4	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning.	30	60
	Total	***150***	***300***

5. **आवेदन तिथि :–आवेदन 12 अगस्त, 2013 से दिनांक 30 सितम्बर, 2013 रात्रि 12–00 बजे तक के मध्य भरे जा सकेंगे।** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।
6. **परीक्षा का स्थान–** परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होने की संभावना है।
7. **परीक्षा तिथि–**इन पदों की परीक्षा की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् यथाशीघ्र रखी जाएगी।
8. **विस्तृत पद संख्या व पाठ्यक्रमः–** . शासन से रिक्त पदों का संशोधित विस्तृत वर्गीकरण प्राप्त होने पर यथा समय जारी कर दिया जाएगा। **आर**क्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। इन पदों के पाठ्यक्रम आयोग की वेब–साईट पर शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे।
9. **अन्य बिन्दु व सूचना :–परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 01.01.13** को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।** इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http:// www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **rpsconline.rajasthan.gov.in**पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव